संख्याः 33 / 2016/787/तीस-1-2016-5(7)/2016

प्रेषक,

मुहम्मद अख़लाक़ खॉ,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

परिवहन आयुक्त,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

परिवहन अनुभाग-1 **लखनऊः दिनाँक 23 सितम्बर, 2016**

विषयः बस स्टेशन कैसरबाग लखनऊ को मॉडल बस स्टेशन के रूप में विकसित करने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम, मुख्यालय लखनऊ के पत्र संख्या-469बी/डीए/प०/16 दिनांक 09 सितम्बर, 2016 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या-28/2016/265/तीस-1-2016-5(7)/2016, दिनांक 01 जून, 2016 द्वारा बस स्टेशन कैसरबाग लखनऊ को मॉडल बस स्टेशन के रूप में विकसित करने हेतु आगणन लागत रू0 944.88 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति तथा वित्तीय वर्ष 2016-17 में कतिपय शर्तो के अधीन प्रथम किश्त के रूप में ऋण के रूप में रू0 470.00 लाख (रूपये चार करोड़ सत्तर लाख मात्र) की धनराशि व्यय हेतु अवमुक्त की गयी है। उपरोक्त निर्माण कार्य हेतु उ०प्र० राजकीय निर्माण निगम लि0 लखनऊ को कार्यदायी संस्था नामित किया गया है। प्रकरण में परिवहन निगम मुख्यालय के संदर्भित पत्र दिनांक 09.09.2016 में प्राप्त प्रस्ताव पर सम्यक विचारोपरान्त वित्तीय वर्ष 2016-17 में अनुदान संख्या-43 के लेखाशीर्ष-7055-सड़क परिवहन के लिए कर्ज 190-सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को कर्ज-03- उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम को कर्ज-30- निवेश/ऋण में प्राविधानित धनराशि रू० 50.00 करोड़ में से बस स्टेशन कैसरबाग लखनऊ को मॉडल बस स्टेशन के रूप में विकसित करने के हेतु द्वितीय एवं अंतिम किश्त की अवशेष रू० 474.88 लाख (रूपये चार करोड़ चौहत्तर लाख अठ्ठासी हजार मात्र) की धनराशि ऋण के रूप में स्वीकृत किये जाने की निम्न शर्तो के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

(1) ऋण की वापसी व्याज सहित 10 वर्षो की अवधि में की जायेगी।

(2) व्याज की दर 15 प्रतिशत वार्षिक होगी तथा नियमित भुगतान किये जाने की दशा में 3.5 प्रतिशत की छूट अनुमन्य होगी। इस प्रकार नियमित भुगतान की दशा में व्याज की प्रभावी दर 11.50 प्रतिशत होगी।

(3) मूलधन के प्रतिदान की पहली किस्त ऋण आहरण की तिथि से ठीक एक वर्ष बाद देय होगी। मूलधन का प्रतिदान 10 समान वार्षिक किस्तों में किया जायेगा।

http://shasanadesh.up.nic.in

2- उक्त कार्य की प्रथम किश्त के रूप में अवमुक्त धनराशि रू० 470.00 लाख के सापेक्ष 80 प्रतिशत धनराशि के उपयोग के उपरान्त द्वितीय किश्त के रूप में अवशेष धनराशि रू० 474.88 लाख ऋण के रूप में शासनादेश संख्या-28/2016/265/तीस-1-2016-5(7)/2016 दिनांक 01 जून, 2016 में निहित शर्तों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

3- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष-2016-17 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-43 के अन्तर्गत आयोजनागत पक्ष के लेखाशीर्ष 7055-सड़क परिवहन के लिए कर्ज 190-सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को कर्ज-03- उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम को कर्ज-30-निवेश/ऋण के नामें डाला जाएगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग के अशा0संख्या-ई-9-337/दस-2016 दिनांक 21 सितम्बर, 2016 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किए जा रहे है।

भवदीय,

ह०

(मुहम्मद अख़लाक़ खॉ)

विशेष सचिव।

संख्याः33/2016/787/(1) तीस-1-2016 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
3. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम, लखनऊ।
5. प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड लखनऊ।
6. वित्त नियन्त्रक, परिवहन आयुक्त, कार्यालय लखनऊ।
7. वित्त नियन्त्रक, उ0प्र0राज्य सड़क परिवहन निगम मुख्यालय, लखनऊ।
8. वित्त नियन्त्रक, उ०प्र० राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड लखनऊ।
9. नियोजन अनुभाग-4 ।
10. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-4
11. वित्त (व्यय-नियन्त्रण) अनुभाग-9/परिवहन अनुभाग-3।
12. निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यकीय निदेशालय, जवाहर भवन,लखनऊ।
13. गाई फाइल।

आज्ञा से,

ह०

(सन्त लाल)

अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in